

परिशिष्ट—“अ”

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 474

प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में पेंशन योजनाओं एवं मदों में निर्धारित मापदण्ड अनुसार पेंशन राशि प्रदाय की जाती है :-

क्र०	योजना का नाम	पात्रता के मापदण्ड	पेंशन दर
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से संबंधित हो तथा मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। 1. 60 से 64 वर्ष के हितग्राही। 2. 65 से 79 वर्ष के हितग्राही। 3. 80 वर्ष से अधिक आयु के हितग्राही।	रु० 200 /- रु० 275 /- रु० 500 /-
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से संबंधित हो तथा मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। 1. आयु सीमा 40 से 79 वर्ष की हो।	रु० 300 /-
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से संबंधित हो तथा मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। 1. आवेदक की आयु 18 से 79 वर्ष हो। 2. निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 तथा द नेशनल ट्रस्ट फार वेलफेयर आफ पर्सन्स विथ आर्टिज्म सेरेब्रल पालिसी मेंटर रिटारडेशन एण्ड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट 1999 के अनुसार 80 प्रतिशत निःशक्तता एवं सीबीयर डिसेबिलिटी होना चाहिए।	
4.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	निराश्रित एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से संबंधित मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। • 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध • 6 से 18 वर्ष आयु के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार के निःशक्त बालक/ बालिका जो कि शालाओं में अध्ययनरत हों। • 18 से 39 वर्ष आयु की बीपीएल विधवा महिलाएँ एवं 18 से 59 वर्ष आयु की बीपीएल परित्यक्त महिलाएँ।	

पेंशन योजनाओं के अंतर्गत बीमारी हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

उप संचालक (सा०सहा०)

वास्ते आयुक्त

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण, मध्यप्रदेश